


भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षित समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>
----	--

*Rewards for  
effort*

दिनांक:— 28/11/12  
स्थान Lucknow

हस्ताक्षर   
नाम सरकारी मोहन कुमार वर्मा  
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
वन विभाग इंडिया-1980,  
3040, लखनऊ